



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1885]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2009/कार्तिक 26, 1931

No. 1885]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2009/KARTIKA 26, 1931

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 17th November, 2009

**विषय :** (1) उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग के लिए लागू होने वाली दरों और दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए अन्य प्रभारों का निर्धारण।

**Sub:** (1) Fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021.

(2) दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के कारण होटलों के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. की अनुमति के लिए प्रभारों का निर्धारण।

(2) Fixation of charges for grant of enhanced FAR to hotels arising out of modification in MPD-2021.

का.आ. 2906(अ).—वर्ष 2007-08 के लिए (1) उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग के लिए लागू होने वाली दरों और दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए अन्य प्रभारों का निर्धारण, (2) दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के कारण होटलों के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. की अनुमति के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 द्वारा दरों को अधिसूचित किया गया था और सं. का.आ. 544(अ), दिनांक 25-2-2009 एवं सं. का.आ. 567(अ), दिनांक 27-02-2009 द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के माध्यम से उन्हें संशोधित किया गया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा उक्त के संबंध में वर्ष 2008-09 के लिए भी 2007-08 की दरों को जारी रखता है।

**S.O. 2906(E).**—The rates for (1) Fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges of enhanced FAR arising out of MPD-2021, (2) Fixation of charges for grant of enhanced FAR to hotels arising out of modification in MPD-2021 were notified for the year 2007-08 vide No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 and modified through notifications issued vide No. S.O. 544(E), dated 25-02-2009 & No. S.O. 567(E), dated 27-2-2009. Now Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) with the previous approval of the Central Government, hereby retains the rates of 2007-08 in respect of above for the year 2008-09 also.

[सं. फा. 20(4)2005/एम पी/पार्ट-1ए]

[No. F. 20 (4)2005/MP/Pt-1A]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

4174 GI/2009